



भाकृअनुप -केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान

(समतुल्य विश्वविद्यालय),

पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सोवा,

अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400061

दूरभाष. नंबर 022-26361446/7/8, वेब साइट: <https://www.cife.edu.in>




एफ.नं. 23(3)/2021/स्था.

दिनांक: 8th जनवरी, 2025

कार्यालय आदेश

निदेशक, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई ने श्री नवीन कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई के अनुरोध को मंजूरी दे दी है और उन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ सीआईएफई ओल्ड कैम्पस में अजंता ट्रांजिट बिल्डिंग में सरकारी आवास फ्लैट नंबर 102 में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के साथ रहने की अनुमति दी है:-

1. लाइसेंस शुल्क की वसूली सरकार द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार की जाएगी। भारतीय शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2/2015-पोल.॥ दिनांक 19 जुलाई, 2017 और क्रमांक 18011/2/2015-पोल.॥ दिनांक 29 जून के तहत, 2020 उक्त तिमाही के कब्जे की तारीख से वह एचआरए के भुगतान के लिए पात्र नहीं है।
2. उपरोक्त आवंटन एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर किया गया है। अनुरोध और योग्यता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।
3. उपरोक्त आवंटन क्षेत्र, प्रयोगशालाओं, कार्यालय और संस्थान में आधिकारिक काम के लिए आवश्यक सेवाओं के निष्पादन में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
4. यदि इस कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से 8 (आठ) दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया गया तो फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
5. आवंटन को सभी प्रासंगिक मौजूदा नियमों और आदेशों का पालन करना होगा और समय-समय पर आईसीएआर-सीआईएफई/आईसीएआर द्वारा संशोधित किया जायेगा।


(के. एल. मीश्रा)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (एस जी)

वितरण:

1. श्री नवीन कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई।
2. निदेशक एवं संयुक्त निदेशक कक्ष, सीआईएफई, मुंबई
3. संपदा अधिकारी, सीआईएफई, मुंबई
4. प्रभारी अधिकारी (कार्य), सीआईएफई मुंबई
5. सीएओ (एसजी)/ नियंत्रक/ व.प्र.अ./ वरिष्ठ एफएंडएओ/ एओ, सीआईएफई मुंबई
6. डीडीओ, सीआईएफई, मुंबई। नियमानुसार लाइसेंस शुल्क वसूला जा सकता है।
7. सचिव आईजेएससी, सीआईएफई मुंबई
8. व्यक्तिगत फ़ाइल/सेवा पुस्तिका
9. गार्ड फाइल



ICAR-CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION

(Deemed University)

Panch Marg, Off Yari Road, Versova,
Andheri (West), Mumbai-400061

Tel. No. 022-26361446/7/8, Web Site: <https://www.cife.edu.in>



F.No. 23(3)/2021/Estt.

Date: 8th January, 2025

OFFICE ORDER

The Director, ICAR-CIFE, Mumbai has approved the request of **Shri Navin Kumar, Sr. Admn. Officer, ICAR-CIFE, Mumbai** permitted his to stay in the Government Accommodation **Flat No. 102 in the Ajanta Transit Building at CIFE Old Campus** with following terms & conditions mentioned:-

1. The recovery of license fee shall be made as per revised rates issued by the Govt. of Indian Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Directorate of Estates, New Delhi vide Office Memorandum No.18011/2/2015-Pol.III dated 19th July, 2017 and No.18011/2/2015-Pol.III dated 29th June, 2020 from the date of occupation of the said quarter. He is not eligible for the payment of HRA.
2. **The above allotment has been made on temporary basis for a period of one year. The same shall be reviewed by the Competent Authority based on the request and merit.**
3. The above allotment has been made keeping in view the need for accommodation of officials/ staff involved in executing essential services at off hours for official work in field, laboratories, office, and the Institute.
4. The allotment of the flat will stand cancelled if possession is not taken within 8 (eight) days from the date of issue of this office order.
5. The allottee has to abide by all relevant extant Rules and Orders and as modified from time to time by the ICAR-CIFE/ ICAR.

(K. L. Meena)

Chief Administrative Officer (SG)

Distributions:

1. Shri Navin Kumar, Sr. Admn. Officer, ICAR-CIFE, Mumbai.
2. Director & Joint Director Cell, CIFE, Mumbai
3. The Estate Officer, CIFE, Mumbai
4. Officer Incharge (Works), CIFE Mumbai
5. CAO (SG)/ Comptroller/ SAO/ Sr.F&AO/ AOs, CIFE Mumbai
6. DDO, CIFE, Mumbai. HRA & License fee may be recovered as per rules.
7. Secretary IJSC, CIFE Mumbai
8. Personal File/ Service Book
9. Guard File